(c) The State Government of Orissa have notified the list of OBCs on the basis of Report of Das Commission on 10th September, 1993.

The Government of Sikkim have also identified the OBCs but have not as yet notified the same.

The State Government of Rajasthan and the UT Administrations of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu have notified the list of OBCs on the basis of the Mandal Commission Report.

National Minorities Development Corporation

3565. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL : Will the Minister of WELFARE be pleased to refer to the answer to Starred Question 164 given in the Rajya Sabha on 5th March, 1993 and Unstarred Question 1805 on 4th March, 1994, and State :

(a) by what time, the announcement made by the Prime Minister regarding the Establishment of National Minorities Development Corporation with a capital of Rs. 500 crores is likely to be given final shape ; and

(b) what is the likely structure and working plan of the corporation under reference ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) The National Minorities Development and Finance Corporation will become operational during 1994-95.

(b) The matter is under consideration.

मंत्रालयों में आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास सेलों का खोला जाना

3566. **श्री जगन्नाथ सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जहां आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास सेल खोले जा चुके हैं ; और

(ख) भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभागों में ये सेल कब तक खोल दिये जायेंगे और ये सेल राज्यों के महत्वपूर्ण (नोडल) विभागों से कब तक सम्पर्क कर सकेंगे ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के वी० तंगकाबालू) : (क) और (ख) सूचना केन्द्रीय मंत्रालयों से एकत्र की जा रही है ।

आदिवासी उप-आयोजना और विशेष घटक योजना

3567. **श्री जगन्नाथ सिंह :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आदिवासी उप-आयोजना और विशेष घटक योजना तैयार की है :

(ख) आदिवासी उप-आयोजना और विशेष घटक योजना के अंतर्गत राज्य वार आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

(ग) मध्य प्रदेश के लिए आवंटित धनराशी का ब्यौरा क्या है ;

(घ) आदिवासी उप-योजना और विशेष घटक योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मध्य प्रदेश को विभागवार जारी की गई धनराशी का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए आठवें पंचवर्षीय योजना के लिए आदिवासी उप-आयोजना और विशेष घटक योजना तैयार की है ; और

(च) वर्ष 1993-94 के लिए मध्य-प्रदेश के लिए कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०वी० तंगकाबालू:) (क) से (च) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा मध्य प्रदेश सरकार से सूचनाएं मांगी गई हैं ।

अपेक्षित सूचना जैसे ही यह प्राप्त होगी । सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए होस्टलों का निर्माण

3568. **श्री जगन्नाथ सिंह** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण मंत्रालय के भवन निर्माण विंग द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में होस्टलों के निर्माण के लिए कोई अलग से लागत की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए क्या मापदंड अपनाये जाते हैं; और

(ग) क्या पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में लागू की जाने वाली लागत की ऊपरी सीमा का मापदण्ड मध्यप्रदेश में दूरदराज के क्षेत्रों और साथ ही भौगोलिक दृष्टि से कठिन तराई वाले स्थानों के लिए लागू किए जायेंगे ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० वी० तंग्कबालू) : (क) जी, हां ।

(ख) यह प्रश्न कि क्या कोई प्रस्तावित होस्टल पहाड़ी क्षेत्र अथवा मैदानी क्षेत्र में अवस्थित हैं, का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रमाणन के आधार पर किया जाता है ।

(ग) जी, नहीं ।

3569. [*Transferred to the 27th April*, 1994].

महिलाओं के लिए पार्ट टाइम सर्विस की व्यवस्था

3570. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास विशेषकर महिलाओं के लिए सरकारी, सहकारी बैंकों और अन्य गैर-सरकारी क्षेत्र में पार्ट टाइम नौकरी प्रणाली शुरू करने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) और इस कार्यक्रम के कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Training of Economically Backward Girls

3571. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating any proposal to open centres in the capital and in other States with a view to impart training of sewing and embroidery to the economically backward girls and women under the self-employment programme ;

(b) if so, whether any scheme has been formulated to give financial assistance to these centres and to provide maximum job opportunities to such girls/women ;

(c) what is the number and details of training programmes proposed to be undertaken by these centres ; and

(d) what is the number and details of such training centres being run in the capital at present ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU) : (a) There is no scheme for economically backward classes including girls and women of this group.

(b) to (d) Do not arise.